रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2002/ज्येष्ठ 10, 1924
No. 112] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2002/JYAISTHA 10, 1924

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2002

फा.सं.एन.-10/14/2001-पीपीसी.—निगम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा [2] के खण्ड [ख] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1)इन नियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [वरिष्ठ प्रशासन एवं संबंधित पद] सेवा विनियम 2002 कहा जाएगा।
(2)ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियोग:- ये विनियम इसके साथ संलग्न अनुसूचि के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पद संख्या और वेतनमान -

उक्त पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान वे होगें, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम [2] और [3] में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्रारंभिक संघटन:- इन विनियमों के प्रवृत्त होने पर नियुक्त सभी व्यक्ति जो नियमित आधार पर इन विनियमों में दर्शाए गए पद धारण किए हुए हैं वे इन नियमों के अधीन प्रसार भारती में पद पर नियुक्त समझे जाएंगे। इन विनियमों के प्रवर्तन से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा अगली उच्च श्रेणी में उनकी प्रोन्नति आदि के लिए पात्रता विनिश्चित करने के लिए संगणित की जाएगी।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -

उपर्युक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

6. अनर्हता -

वह व्यक्ति -

[क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या

[ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

7. शिथिल करने की शक्ति -

जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा उक्त पदों के लिए आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताओं से संबंधित इन विनियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

8. शर्त:-

इन विनियमों में कोई भी बात केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

IndiaCode

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उप निदेशक प्रशासन [कल्याण]	* 1 [2002] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	10000 - 325 – 15200/- रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति के आधार पर	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के वे अधिकारी: [क] [1] जो सदृश पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हैं अथवा [2] 8000- 275 - 13500/- रूपए के वेतनमान में संबंधित पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा हो या समकक्ष अथवा [3] 6500- 200 - 10500/- रूपए के वेतनमान में उस पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा हो अथवा इसके समकक्ष और [ख] कर्मचारी संघो/यूनियनों से संबंधित कार्य का 2 वर्ष का अनुभव तथा जेसीएम [संयुक्त सलाहकार मशीनरी] योजना का कार्यसाधक ज्ञान हो। [प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी कार्यालय या किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	1. सदस्य [कार्मिक] - प्रसार भारती बोर्ड -अध्यक्ष 2. महा निदेशक, आकाशवाणी - सदस्य 3. महानिदेशक , दूरदर्शन - सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उप विकास अधिकारी	* 1 [2002] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	10000 - 325 - 15200/ रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	स्थानांतरण् अथवा प्रतिनियुक्त द्वारा	<u>स्थानांतरण:</u> केन्द्र सरकार में सदृश पद पर कार्यरत अधिकारी <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्र सरकार या स्वायत निकायों में सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा 8000- 275- 13500/- रूपए के वेतनमान में कम से कम 2 वर्ष का अथवा अनुभव अथवा समकक्ष या 6500- 200 - 10500/- रूपए के वेतनमान में कम से कम 8 वर्ष का अनुभव अथवा समकक्ष। [प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी कार्यालय या किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी]	1. सदस्य [कार्मिक] - प्रसार भारती बोर्ड -अध्यक्ष 2.महा निदेशक, आकाशवाणी - सदस्य 3. महानिदेशक , दूरदर्शन - सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उप निदेशक [प्रशासन प्रशिक्षण] कर्मचारी प्रशिक्षण स्कूल [कार्यक्रम]	* 1 [2002] कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	10000 - 325 15200/ रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्त द्वारा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्र सरकार या स्वायत निकायों में कार्यरत वे अधिकारी जो क [1] सदृश पद धारण किए हुए हों या [2] 8000- 275-13500/- रूपए के वेतनमान के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा या समकक्ष या [3] 6500- 200 - 10500/- रूपए के वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा या समकक्ष। और ख. प्रशासनिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आयोजन या संचालक एवं समन्वय एवं उससे संबंधित मामलों का अनुभव। [प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी कार्यालय या किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी]	1. सदस्य [कार्मिक] - प्रसार भारती बोर्ड -अध्यक्ष 2.महा निदेशक, आकाशवाणी - सदस्य 3. महानिदेशक , दूरदर्शन - सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
उपनिदेशक प्रशा० **आकाशवाणी एवं दूरदर्शन**	14 * *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	10000-325-15.200/-रु	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

IndiaCode

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा इसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नतिः** 1. [illegible] आकाशवाणी/दूरदर्शन में, 7450-225-11,500/-रु0 के वेतनमान में संबंधित ग्रेड में 7 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके लेखा निरीक्षक 2. उपर्युक्त 1 के न होने की स्थिति में आकाशवाणी या दूरदर्शन में लेखा निरीक्षक और प्रशासन अधिकारी [वेतनमान 6500-200-10500रु0 के ग्रेड में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा वाले अधिकारी 3. 1 और 2 के न होने की स्थिति में प्रशासन अधिकारी [6500-200-10,500/-रु0 के वेतनमान] जिनकी आकाशवाणी या दूरदर्शन में संबंधित ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा हो । **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्र या राज्य सरकार में कार्यरत वे अधिकारीः [क] 1. जो नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हों। 2. जिनकी 8000- 275-13500 /-रु0 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो या समकक्ष और [ख] प्रशासन,स्थापना एवं लेखा संबंधी विषयों का कम से कम ५ वर्ष का अनुभव हो[फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाईन में हैं प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे उसी प्रकार,प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे] [प्रतिनियुक्ति की अवधि,जिसमें इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी कार्यालय या किसी अन्य संगठन या विभाग में किसी दूसरे पद पर प्रतिनियुक्ति भी शामिल है,सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।]	1.सदस्य [कार्मिक] प्रसार भारती बोर्ड - अध्यक्ष 2. महानिदेशक,आकाशवाणी - सदस्य 3.महानिदेशक,दूरदर्शन - सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
लेखा निरीक्षक	7 * [२०००] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	7450-225-11,500/- रु0	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

IndiaCode

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा इसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नतिः** प्रसार भारती में प्रशासन अधिकारी [6500-200-10500 में वेतनमान में] जिनकी संबंधित ग्रेड में २ वर्ष की नियमित सेवा हो । **प्रतिनियुक्तिः** 1. केन्द्र सरकार में वे अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पदों पर कार्यरत हैं तथा जिन्हेंने रोकड़ तथा लेखा कार्यो का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और जिन्हें रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य का अनुभव हों , या 2. केन्द्र सरकार में 5500-9000 रु0 के वेतनमान में कनिष्ठ लेखा अधिकारी/ लेखाकार या समकक्ष पद पर कार्यरत वे अधिकारी जिनकी संबंधित ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो , या 3. केन्द्र सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग से 5500-175-9000/-रु0 के वेतनमान में लेखाकार/लेखा परीक्षा अधिकारी या अधीनस्थ लेखा सेवा के लेखाकार जिनकी संबंधित ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो । [फीडर श्रेणी के वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाईन में हैं प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे उसी प्रकार,प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय नहीं होंगे] [प्रतिनियुक्ति की अवधि,दूसरे संवर्ग बाह्य पद जो इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी कार्यालय या किसी अन्य केन्द्र सरकार के संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति अवधि को मिलाकर, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक न हो]	* 1. उपमहानिदेशक [प्रशा०] आकाशवाणी - अध्यक्ष * 2. उपमहानिदेशक [प्रशा०] दूरदर्शन - सदस्य * 3. निदेशक [प्रशा० एवं वित्त] आकाशवाणी/ दूरदर्शन - सदस्य * 4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई अधिकारी जिसका स्तर निदेशक से कम न हो - सदस्य *सदस्य [कार्मिक] द्वारा नामित किया जाएगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
प्रशासन अधिकारी	*141 [2002] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	6500 - 200 - 10500/ रूपए	चयन योग्यता के आधार पर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	<u>प्रोन्नति</u> प्रसार भारती में सेवारत प्रधान लिपिक या सहायक जिनकी संबंधित ग्रेड में 7 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा हो। <u>टिप्पणी:-</u> प्रोन्नति हेतु पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित ग्रेड या पद के लिए निर्धारित अर्हक सेवा अवधि के पूरी होने के अनुसार तैयार की जाएगी।	1. उप महानिदेशक [प्रशासन] [आकाशवाणी] - अध्यक्ष 2. उप महा निदेशक, [प्रशासन], दूरदर्शन - सदस्य 3. निदेशक [प्रशासन एवं वित्त], आकाशवाणी - सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
लेखा अधिकारी	* 4 [2002] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	7450 - 225 – 11500/- रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	<u>प्रतिनियुक्ति</u> सहायक लेखा अधिकारी के रैंक के अधिकारी ऐसा न होने की स्थिति में किसी संगठित लेखा विभाग जैसे भारतीय लेखा परीक्षा एवं भारतीय सेना लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अधीनस्थ लेखा सेवा के लेखाकार। [प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से तत्काल पहले इसी या अन्य किसी संगठन/ विभाग में प्रतिनियुक्ति अवधि को मिलाकार सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी]	1.उप महानिदेशक [प्रशासन] [आकाशवाणी] अध्यक्ष 2. उप महा निदेशक, [प्रशासन], दूरदर्शन सदस्य 3. निदेशक [प्रशासन एवं वित्त], आकाशवाणी/ दूरदर्शन सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वरिष्ठ लेखाकार	* 5 [2002] कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	5500 - 175 - 9000/ रूपए	चयन योग्यता के आधार पर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा इसके न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति के अध्यधीन प्रधान लिपिक या जिनकी संबंधित ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो, जिसमें से 3 वर्ष की सेवा सहायक के पद की होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति: किसी संगठित लेखा विभाग जैसे भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, भारतीय सेना लेखा विभाग, भारतीय रेल लेखा विभाग आदि में कार्यरत अधीनस्थ लेखा सेवा में लेखाकार स्तर के अधिकारी। [प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति से तत्काल पहले इसी या अन्य किसी संगठन/विभाग में प्रतिनियुक्ति को मिलाकार सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक न हो]	1. उप महानिदेशक [प्रशासन] [आकाशवाणी] - अध्यक्ष 2. उप महा निदेशक, [प्रशासन], दूरदर्शन - सदस्य 3. उप महानिदेशक [प्रशासन एवं वित्त] प्रसार भारती - सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमंत्रण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
निजी सचिव	* 18 [2002] *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	6500 - 200 10500/- रूपए	चयन एवं वरीयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	आशुलिपिक श्रेणी-1 से प्रोन्नति प्राप्त कर्मचारियों के लिए कोई परीवीक्षा अवधि नहीं होगी। आशुलिपिक श्रेणी-II से प्रोन्नति प्राप्त कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<u>प्रोन्नति:-</u> 1 प्रसार भारती में दो वर्ष नियमित सेवा कर चुके आशुलिपिक श्रेणी-1 [5500- 175- 9000/ रूपए] 2. प्रसार भारती में उपर्युक्त 1 आशुलिपिक श्रेणी-I ।[5500-175- 9000/- रूपए] के ना होने की स्थिति में प्रसार भारती में सात वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा वाले आशुलिपिक श्रेणी-I [5500-175- 9000/- रूपए] तथा आशुलिपिक श्रेणी-II [5000-150-8000/- रूपए] , 3. उपर्युक्त 1 तथा 2 के ना होने की स्थिति में उसी ग्रेड में प्रसार भारती में सात वर्ष की नियमित सेवा कर चुके आशुलिपिक श्रेणी-II [5000-150-8000/- रूपए] <u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्र सरकार में कार्यरत वे आशुलिपिक: 1. जो नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत हों अथवा 2. 5500-175- 9000/- रूपए के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा अथवा 3. 5000-150-8000/- रूपए के वेतनमान में 7 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके आशुलिपिक अथवा समकक्ष। [प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से तत्काल पहले उसी कार्यालय या किसी अन्य संगठन/विभाग में अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी]	1.उप महानिदेशक [प्रशासन] [आकाशवाणी] अध्यक्ष 2.संयुक्त निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग - सदस्य 3. उप निदेशक [प्रशासन], दूरदर्शन- सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	गेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आशुलिपिक श्रेणी I	कुल * 217 [2002] 199* [अंग्रेजी]18* [हिन्दी] कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	5500 - 175 9000/- रूपए	चयन एवं वरीयता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	<u>प्रोन्नति:-</u> प्रसार भारती में संगत भाषा में उसी गेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके आशुलिपिक श्रेणी- II	1.उप महानिदेशक [प्रशासन] [आकाशवाणी] अध्यक्ष 2.निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग - सदस्य 3. उप निदेशक [प्रशासन], मुख्यालयआकाशवाणी - सदस्य

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आमंत्रण तथा आतिथ्य अधिकारी	* 1 [2002] कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	6500 - 200 10500/- रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति	<u>प्रतिनियुक्ति</u> केन्द्र अथवा राज्य सरकारों जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हैं, के वे अधिकारी जो: [क] [1] नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों अथवा [II] 5500-175- 9000/- रूपए के वेतनमान के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों अथवा समकक्ष अथवा [III] 5000-150- 8000/- रूपए के वेतनमान के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों अथवा समकक्ष तथा	लागू नहीं

IndiaCode

[ख] शिष्टाचार के मामलों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन, अति विशिष्ट व्यक्तियों/विदेशी गणमान्यों की बैठकों के आयोजन और पासपोर्ट, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वीजा, विदेशी मुद्रा प्राप्त करने तथा पी फार्म क्लीयारेंस आदि का अनुभव । [प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें प्रसार भारती में इस नियुक्ति से तत्काल पहले किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी]									

के.एस. सर्मा, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन III/IV/163/2002-असाधा.]

IndiaCode

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2002

F.No. N-10/14/2001-PPC.— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 33 read with sub-section (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement** : (i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Administrative and Allied Posts) Service Regulations, 2002.

 (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** : These regulations shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts and scales of pay** : The number of posts and their scales of pay shall be as specified in columns 2 and 3 of the Schedule aforesaid.

4. **Initial Constitution** : All persons appointed at the commencement of these regulations holding the posts mentioned in these regulations on regular basis shall be deemed to have been appointed as such under these regulations. The services

IndiaCode

rendered by them before the commencement of these regulations shall be taken into account for promotion etc. to the next grade.

5. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** :- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 4 to 11 of the said Schedule.

6. **Disqualification** :- No person-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

IndiaCode

7. **Power to relax** : Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government, relax the provisions of age limit, educational and other qualifications for the said posts.

8. **Savings**: Nothing in these regulations shall effect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for persons belonging to the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of persons in accordance with the orders issued by Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Deputy Director of Administration (Welfare)..	1* (2002) * subject to variation dependent on workload.	Rs. 10000-325-15200/-	Not Applicable.	Not Applicable	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Deputation.	**Deputation** : Officers under Central Government or State Governments or Union Territory Administrations: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 8000-275-13500/- or equivalent, or (iii) with eight years' regular service in posts in the scale of Rs 6500-200-10500/- or equivalent; and (b) Possessing two years experience of dealing with the staff associations/ unions and working knowledge of JCM (Joint Consultation	1. Member (Personnel), Prasar Bharati Board - Chairman 2. Director General, All India Radio – Member 3. Director General, Doordarshan - Member

IndiaCode

									Machinery) Scheme. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years).	

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Deputy Development Officer.	1* (2002) * subject to variation dependent on workload.	Rs. 10000-325-15200/-	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	By transfer or deputation.	**Transfer** : Officers holding analogous posts under Central Government. **Deputation** : Officers under the Central Government or autonomous bodies holding analogous posts or with at	1.Member (Personnel), Prasar Bharati Board - Chairman 2. Director General, All India Radio – Member 3. Director General, Doordarshan - Member

India Code

									least two years ' service in posts in the scale of Rs. 8000-275-13500/- or equivalent; or with at least eight years' service in the scale of Rs. 6500-200-10500/- or equivalent (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years).	

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Deputy Director (Administrative Training) Staff Training School (Programme).	1* (2002) *subject to variation dependent on workload.	Rs 10000-325-15200/-	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable	Not Applicable.	By deputation.	Deputation : Officers under Central Government or autonomous bodies: A. (i) holding analogous posts; or (ii) holding posts in the scale of Rs. 8000-275-13500/- with five years' service 8000-275-13500/- or equivalent; or (iii) with eight years' service in posts in the scale of Rs. 6500-200-10500/- or equivalent; and B. Possessing experience of organising or conducting and co-ordination of administrative	1. Member (Personnel), Prasar Bharati Board – Chairman. 2. Director General, All India Radio – Member. 3. Director General, Doordarshan – Member.

IndiaCode

training courses and matters connected therewith. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years).								

indiacode

Name of post	No. of post	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition (For Promotion/ Deputation)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Deputy Director of Administration (Akashvani and Doordarshan)	14* (2002) *subject to variation dependent on workload.	Rs. 10000-325-15200/-	Selection by merit	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	**Promotion** : (i) Inspector of Accounts (pay scale Rs 7450-225-11500/- in Akashvani/ Doordarshan with seven years' of regular service in the grade; (ii) Failing (i) above officers with eight years' combined regular service in the grade of Inspector of Accounts and Administrative Officer (pay scale Rs. 6500-200-10500/-) in Akashvani or Doordarshan; (iii) Failing (i) and (ii) above Administrative Officers (pay scale Rs 6500-200-10500/-) in Akashvani or	1. Member (Personnel), Prasar Bharati Board - Chairman 2. Director General, All India Radio – Member 3. Director General, Doordarshan - Member

IndiaCode

									Doordarshan with eight years' regular service in the grade. **Deputation** : Officers under the Central or State Governments: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years' regular service in posts in the scale of Rs. 8000-275-13500 or equivalent; and (b)having minimum five years experience in administration, establishment and accounts matters. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation including period of deputation in another post held immediately	

IndiaCode

									preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department shall ordinarily not exceed three years).	

Name of post	No of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Inspector of Accounts	7 * (2002) *subject to variation dependent on workload	Rs. 7450-225-11500/-	Selection by merit	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	By promotion failing which by deputation	**Promotion** Administrative Officers (Rs. 6500-200-10500/-) in Prasar Bharati with two years' regular service in the grade. **Deputation** (i) Officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis; and have undergone training in the cash and accounts work and possessing experience in cash, accounts and budget work ; or (ii) Officers of the Central Government holding posts of Junior Accounts Officer /Accountant or equivalent in the scale of Rs.5500-9000 with five years' service in the grade; or	* (i) Deputy Director General (Administration), Akashvani -Chairman * (ii) Deputy Director General (Administration), Doordarshan - Member *(iii) Director (Administration and Finance) of Akashvani/ Doordarshan – Member *(iv) An officer not lower than Director belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe - Member

IndiaCode

									(iii) Accountants / Audit Officers or Subordinate Accounts Service Accountants in the pay scale of Rs. 5500-175-9000/- with five years' regular service in the	* To be nominated by the Member (Personnel)
									grade from any of the organised Accounts Departments of the Central Government. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	

IndiaCode

Name of Grade	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or by Selection-cum-Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Administrative Officer.	141 * (2002) *subject to variation dependant on workload.	Rs. 6500-200-10500/-	Selection by merit.	Not Applicable.	Not Applicable	Not Applicable.	Two years.	By promotion.	**Promotion** : Head Clerks or Assistants in Prasar Bharati with seven years' combined regular service in the grades. *Note* : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post.	(i) Deputy Director General-(Administration) (Akashvani) Chairman (ii) Deputy Director General (Administration) Doordarshan – Member (iii)Director (Administration and Finance) Akashvani Member

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which Promotion or Deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Accounts Officer	4 * (2002) *subject to variation dependent on workload	Rs. 7450-225-11500/-	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable	Not Applicable.	Deputation.	**Deputation** : Officers of the rank of Assistant Accounts Officer failing which Subordinate Accounts Service Accountants with five years' service as such from any of the organised Accounts Departments, viz. Indian Audit and Accounts Department, Indian Defence Accounts Departments, Indian Railway Accounts Department. (Period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department shall ordinarily not exceed three years).	1. Deputy Director General (Administration), All India Radio - Chairman 2. Deputy Director General (Administration), Doordarshan - Member 3. Director (Administration and Finance), All India Radio/Doordarshan - Member

IndiaCode

Name post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Senior Accountant	5 * (2002) *subject to variation dependent on workload	Rs. 5500-175-9000/-	Selection By merit.	Not Applicable	Not Applicable.	Not Applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.	**Promotion** : Head Clerks or Accountants with five years' regular service in the grade out of which three years' service shall be in the post of Assistant. **On deputation** : Officers of the rank of Subordinate Accounts Service Accountant from any of the organised Accounts Departments viz. Indian Audit and Accounts Department, Indian Railway Accounts Department, Indian Defence Accounts etc. (Period of deputation including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department shall ordinarily not exceed three years).	(i) Deputy Director General (Administration), (Akashvani) - Chairman (ii) Deputy Director General (Administration), Doordarshan – Member (iii) Deputy Director General (Finance and Accounts), Prasar Bharati - Member

IndiaCode

Name of post	No of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Private Secretary	18* (2002) *subject to variation Dependant on workload	Rs 6500-200-10500/-	Selection-cum-Seniority	Not Applicable.	Not Applicable	Not Applicable.	No probation for promotees from Stenographer Grade I. Two years' for promotees from Stenographers Grade II.	By promotion failing which by deputation	**Promotion** (i) Stenographer Grade I (Rs. 5500-175-9000) in Prasar Bharati with two years' regular service in the grade; (ii) Failing (i) above Stenographer Grade I in Prasar Bharati (Rs. 5500-175-9000) with seven years' combined regular service as Stenographer Grade I (Rs. 5500-175-9000) and Stenographer Grade II (Rs 5000-150-8000), (iii)Failing (i) and (ii) above Stenographer Grade II (Rs.5000-150-8000) in Prasar Bharati with seven years' regular service in the grade.	(1) Deputy Director General-(Administration) (Akashvani) Chairman (2) Joint Director, News Services Division - Member (3) Deputy Director (Administration), Doordarshan – Member

ImTCode

									Deputation. Stenographers in the Central Government : (i)holding analogous posts on regular basis; or (ii)with two years' regular service in the scale of Rs. 5500-175-9000/- or equivalent; or (iii)with seven years regular service in the scale of Rs.5000-150-8000 or equivalent. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in in the same or some other Organisation/Department shall ordinarily not exceed three years).	

IndiaCode

Name of Grade/ post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum - seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment	Grade from which promotion or Deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Stenographer Grade I	Total - 217* (2002) 199* (English) 18* (Hindi) *subject to variation dependent on workload.	Rs. 5500-175-9000/-	Selection –cum- Seniority	Not Applicable	Not Applicable.	Not Applicable.	Two years	By promotion.	Promotion : Stenographer Grade II in Prasar Bharati with three years' regular service in the grade in the relevant language.	(1) Deputy Director General (Administration), Akashvani - Chairman (2) Director, News Service Division – Member (3) Deputy Director Administration (Headquarters), Akashvani - Member

IndiaCode

Name of po'	No. of posts	Scale of Pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Invitation and Hospitality Officer	1* (2002) *subject to variation dependent on workload	Rs. 6500-200-10500/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation	**Deputation** : Officers of the Central or State Governments including Union territory Administrations: (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years' regular service in posts in the scale of Rs 5500-175-9000 /- or equivalent; or (iii) with eight years' regular service in posts in the scale of Rs 5000-150-8000 /- or equivalent; and (b)Possessing experience in protocol matters, making arrangements for convening International Conferences, meetings of very important persons/foreign dignitaries and obtaining passports, health certificates, Visa, foreign exchange and 'P' form clearance etc	Not applicable

IndiaCode

									(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in Prasar Bharati shall ordinarily not exceed three years.)	

K.S. SARMA, Executive Member

[ADVT. III/IV/163/2002 Exty.]

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2002

IndiaCode